भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3296

16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना

3296. श्री श्रीरंग अप्पा बरने:
श्री संजय सदाशिवराव मंडलीक:
श्री रवींद्र कुशवाहा:
श्री राजेन्द्र ढेडया गावित:
श्री बिद्युत बारन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चन्द्रशेखर साहू:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण के लिए कृषि क्षेत्र की सहायता कर रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत आवंटित, निर्मुक्त और उपयोग किए गए धन का विवरण;

(घ) उक्त योजना के तहत किसानों के चयन के मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त योजना के तहत अब तक लाभान्वित किसानों की संख्या, राज्य-वार; तथा

(च) क्या विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण के उपयोग से किसानों की आय के साथ-साथ कृषि उपज मे बढ़ोतरी का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में विवरण?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) कृषि यंत्रीकरण को मुख्य रूप से कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के

माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण को 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन' (सीआरएम) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग की अन्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), जो राज्यों को उनकी पसंद अनुसार हस्तक्षेप चुनने की स्वायत्तता प्रदान करती है और एकीकृत कार्यक्रमों जैसे बागवानी के लिए एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) मे भी कृषि यंत्रीकरण के पूरक घटक हैं।

(ग): वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, क्रमशः रुपये 1591.02 करोड़, रुपये 2502.69 करोड़ और रुपये 2101.93 करोड़ की राशि कुल मिलाकर एसएमएएम, सीआरएम और आरकेवीवाई योजनाओं के तहत कृषि यंत्रीकरण हेतु राज्य सरकारों को आवंटित / जारी की गई हैं।

(घ): योजनाओं के तहत सहायता के लिए किसानों का चयन राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो फार्म पावर उपलब्धता के कम अनुपात वाले क्षेत्रों, बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत जोत क्षेत्र और खाद्यान्न के कम उत्पादकता लेकिन उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता रखने वाले क्षेत्र पर ध्यानाकर्षण को अनुबंधित करते है।

(ड.): पिछले तीन वर्ष के दौरान कृषि यंत्रीकरण के तहत लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुबंध- I के रूप में संलग्नीत है।

(च): प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन खेती पर कृषि यंत्रीकरण के समग्र सकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं और यह प्रतिवेदित किया गया है कि यंत्रीकरण से उत्पादकता में 17.9 प्रतिशत और बीज अंकुरण में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यंत्रीकरण से परिचालन समय में लगभग एक तिहाई, श्रम आवश्यकताओं में 30 प्रतिशत की कमी, बीज दर में 11 प्रतिशत की कमी, खरपतवार के मामलों में 26.6 प्रतिशत की कमी, डीजल की खपत में 22.4 प्रतिशत की कमी और उर्वरक आवश्यकताओं में 12.7 प्रतिशत की कमी करने में भी सहायता मिली है।

अनुबंध- I

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना विषय पर 16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3296 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

राज्य	एसएमएएम और सीआरम स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षो के दौरान कृषि मशीनीकरण से लाभान्वित किसानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	205083
अरुणाचल प्रदेश	11708
असम	611
बिहार	26466
छत्तीसगढ	64426
गुजरात	5118
हरियाणा	43690
हिमाचल प्रदेश	29908
जम्मू और कश्मीर	5277
झारखंड	0
कर्नाटक	109221
केरल	9861
मध्य प्रदेश	95189
महाराष्ट्र	29767
मणिपुर	10205
मेघालय	1048
मिजोरम	1440
नागालैंड	7394
ओडिशा	33530
पंजाब	60307
राजस्थान	16636
सिक्किम	3432
तमिलनाडु	25398
तेलंगाना	12462
त्रिपुरा	28879
उत्तर प्रदेश	107511
उत्तराखंड	10727
पश्चिम बंगाल	742

कुल	**956036**

******